न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 125/2015

1 टीकूराम पुत्र गंगूराम।
2 प्रभूदयाल पुत्र गंगूराम।
3 राजकुमार पुत्र गंगूराम।
4 प्रहलाद पुत्र गंगूराम।
5 कैलाशचन्द पुत्र गंगूराम।
6 छोटी बेवा गंगूराम समस्त जाति बलाई निवासीगण रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मन्नी पुत्री दूला।
2 मनोरी पुत्री दूला।
3 रामस्वरूप पुत्र बोदू।
4 महेश पुत्र बोदू।
5 भागू पुत्र कालूराम।
6 ताराचन्द पुत्र मुरली उर्फ मूलचन्द।
7 गोपाल पुत्र मुरली उर्फ मूलचन्द।
8 धन्नाराम पुत्र मुरली उर्फ मूलचन्द।
9 रामोतार पुत्र मुरली उर्फ मूलचन्द समस्त जाति बलाई निवासीगण रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर।
10 भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील बविरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015
अदालत उपखण्ड अधिकारी सीकर बउनवानी दावा
श्रृंगारी आदि बनाम भूमिधारक राजस्थान सरकार दावा
1043/2012 अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री विधाधर सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री बनवारीलाल बरबड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 16-2-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 1043/2012 में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट वादीगण ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष दावा उनवानी श्रृंगारी आदि बनाम भूमिधारी राजस्थान सरकार दावा संख्या 1043/2012 दायर किया गया है दौराने दावा वादीनी श्रृंगारी का देहान्त होने पर उसका नाम हजफ किया गया। राजस्व अभियान लोक अदालत कैम्प रघुनाथगढ़ में दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

26.05.2015 को पत्रावली पेश होने पर दावा को निर्णय कर डिक्री किया गया है। जिसमें रेस्पोडेंट वादीगण ने अपीलकर्तागण को पक्षकार नहीं बनाया है। विचारण न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों की अवहेलना कर गलत तथ्यों के आधार पर अपीलकर्तागण के कब्जे, काश्त व खातेदारी की भूमि को शामिल कर दावा को निर्णय कर डिक्री किया गया है। उक्त निर्णय व डिक्री से अपीलकर्तागण के हित प्रभावित हो रहे है इसलिए अपीलकर्तागण उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015 के विरूद्व अपील धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादग्रस्त कृषि भूमियों अपीलकर्तागण व रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 5 की पैतृक कृषि भूमियां है जिसमें अपीलकर्तागण का हिस्सा 1/3, रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 का हिस्सा 1/4 रेस्पोडेंट संख्या 5 का हिस्सा 1/3 है जिन पर अपने हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के पूर्व से निरन्तर निर्बाध रूप से शामलाती काबिज, काश्त करते आ रहे है व आज भी इसी प्रकार काबिज है परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने बिना अपीलकर्तागण व रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 5 को पक्षकार बनाये ही विचारण न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर विचारण न्यायालय ने लोक अदालत कैम्प रघुनाथगढ़ में बिना किसी आधार के निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है। पंजिकृत गोदनामा के अभाव में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपने पिता को कुम्भा पुत्र पन्ना का दत्तक पुत्र होने की सक्षम न्यायालय से उद्घोषणा कराये बिना विचारण न्यायालय को रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पिता को कुम्भा पुत्र पन्ना का दत्तक पुत्र मानकर वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करने का काननून अधिकार नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा की मद संख्या 3 में सजरा खानदान गलत व अधुरा पेश किया है उक्त सजरा खानदान में कालू के पुत्रगण बोदू, गंगू व मूला को दर्शाया है जिनके वारिसान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलकर्तागण व अन्य रेस्पोडेंट को न दर्शाकर जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया है। कालू के पिता का नाम गलत दर्ज किया है। वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलकर्तागण की पैतृक कृषि भूमियां है जो उतराधिकार में अपने दादा कालू से प्राप्त हुई है। जिस कारण चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री में अपीलकर्तागण प्रभावित व्यक्ति है जिन्हे चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में अपील स्वीकार कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट विवादित भूमि के खातेदार नही है। अपीलांट का विवादित भूमि से कोई सम्बंध नही है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नही है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विवादित भूमि अपील के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2015 से 2018 में कालू पुत्र पन्ना बलाई, चतरी बेवा कुम्भा बलाई के नाम दर्ज होना प्रकट होता है। अपीलांट ने अपील में सजरा खानदान अंकित कर विवादित भूमि में हितबद्व पक्षकार होना कथन किया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नही थे। गुणावगुण पर अपीलांट को सुने बिना हक अधिकार का निर्धारण नही किया जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमती दी जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य प्राप्त किये बिना ही विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर विधिक प्रक्रिया अपनाकर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.03.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16-2-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर